न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 130/2017

दर्ज दिनांकः 01/09/2017

निर्णय दिनांक : 19/12/2017

बदाम देवी पुत्री जयलाल पत्नि सुजाराम जाति जाट निवासीः दतूली, तहसील फागी, हाल निवासीः ग्राम तुम्बीपुरा, तहसील निवाई जिला टोंक, राजस्थान।

——वादिया

बनाम

1. बिज्या पुत्र जयलाल जाति जाट निवासीः ग्राम दतूली, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान।
2. मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा माधोराजपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थितः

श्री प्रेमचन्द शर्मा एडवोकेट

श्री बुद्वि प्रकाश शर्मा एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता वादिया

श्री गोपेश पारीक एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

निर्णय दिनांकः 19/12/2017

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिया ने वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खतौनी संख्या 236 के खसरा नंबर 170, 418, 635, 666, 669, 670, 675, 676, 684, 687, 688, 693, 694, 696, 745, 746, 747, 799, 850, 864, 865, 868, 869, 870, 876, 877, 878, 879, 880, 882 कुल किता 30 कुल रकबा 28 बीघा 19 बिस्वा व खतौनी संख्या 237 के खसरा नंबर 848/1200, 949, 950, 951, 957, 1064, 1075, 1079, 1080, 1081, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1101, 1105, 1108, 1111, 1112, 1121 कुल किता 21 कुल रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाके ग्राम दतूली तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसमें वादिया की माता धन्नी बेवा जयलाल के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 में से 1/2 अर्थात कुल का 1/16 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर इसी अनुसार काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराती चली आ रही है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा उक्त आराजी में वादिया का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। सिजरा अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होकर स्वर्गीय श्री जयलाल के वारिसान है तथा आराजी भूमि उपरोक्त भी मुश्तर्का मौरूसी भूमि है जो पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जयलाल के नाम रही है जो उसे अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई थी जिसमे वादिया का जन्मजात हिस्सा उक्त आराजी में निहित है। वाद में वर्णित आराजीयात वादिया की माता धन्नी देवी पत्नि जयलाल के नाम है जिसकी मृत्यु दिनांक 18.11.2014 को हो चुकी है जिसकी विरासत का नामान्तकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 जायन्दा वारिसान के नाम बराबर बराबर खुलना चाहिये लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 वादिया को उसके हक व हिस्से से वंचित रखना चाहता है इसलिये वादिया की माता धन्नी देवी की विरासत का नामान्तकरण अकेले अपने नाम खुलवाना चाहता है तथा वादिया को उसके हक व हिस्से से वंचित करना चाहता है पूर्व में भी प्रतिवादी संख्या 01 ने

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला—जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

अपने व वादिया के भाई मंगला के ना0ओ0 फौत हो जाने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण अकेले अपने नाम खुलवा लिया था तथा अब वादिया की माता की विरासत का नामान्तकरण भी अकेले अपने नाम खुलवाकर वादिया को उसके हक व हिस्से से वंचित रखना चाहता है जबकि उक्त आराजी में वादिया का जन्मजात हक व अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बनता है जो कि उपरोक्त सिजरा खानदान से बखूबी साबित है। प्रतिवादी संख्या 01 उक्त आराजी का नामान्तकरण अकेले अपने नाम खुलवा कर अन्य दीगर व्यक्तियो को बेचान करना चाहता है ताकि वादीगण को उनके जन्मजात हक व अधिकारो से महरूम कर सके। हाल ही दिनांक 07.08.2017 को वादिया रक्षाबंधन पर गांव दतूली आकर अपनी फसल की देखभाल कर रही थी तभी प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर कुछ अजनबी व्यक्तियो के साथ आया। वादिया ने कारण पूछा तो प्रतिवादी संख्या 01 ने कहा कि उक्त आराजी से तुम्हारा कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा उक्त आराजी का मैं अकेले अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर साथ आये व्यक्तियो को बेचान करूंगा आयन्दा इस जमीन पर मत आना एवं वादिया को जमीन से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने लगा इसलिये वादिया को अपने हक हकूको की रक्षार्थ यह वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है कि वो उक्त पैतृक आराजी का अकेले अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर दीगर व्यक्तियो को बेचान कर वादिया को यह हक व अधिकार प्राप्त है कि वो प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करा दे। प्रतिवादी संख्या 1 अपने उपरोक्त नापाक इरादो में सफल हो गया तो वादिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा तथा खर्चे से जेरबार होना पडेगा एवं व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढेगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना असंभव होगा इसलिये वादिया के हितो की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 2 के यहां आराजी रहन होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 भूमि धारक होने एवं प्रतिवादी संख्या 04 उपपंजीयक होने के कारण इन्हे मुकदमे हाजा में तरतीबी पक्षकार कायम किया गया है जिनके विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

वादिया ने वाद के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादिया का वाद विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री फरमाया जाकर आराजी वर्णित वाद पत्र में वादिया की माता के नाम दर्ज 1/8 हिस्से में से वादिया को 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 26.09.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री गोपेश पारीक एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व बावजूद नोटिस तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 10.10.2017 को वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 28.11.2017 को वकील वादिया ने साक्ष्य में शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 बदाम देवी पुत्री जयलाल, पी.डब्ल्यू–2 अशोक पुत्र श्योजीराम, पी.डब्ल्यू–3 रामनारायण पुत्र रामपाल पेश किये, शामिल पत्रावली किये गये।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.11.2014, इकबालिया जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 1, शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 बदाम देवी पुत्री जयलाल, पी.डब्ल्यू–2 अशोक पुत्र श्योजीराम, पी.डब्ल्यू–3 रामनारायण पुत्र रामपाल इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात में धन्नी बेवा जयलाल रिकॉर्डेड सहखातेदार है। फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.11.2014 से वादिया की माता धन्नी पत्नि जयलाल की मृत्यु दिनांक 18.11.2014 को होना साबित पाया जाता है। धन्नी बेवा जयलाल के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

प्रकरण के संपूर्ण तथ्यो पर गौर व मनन करने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन पश्चात् न्यायहित में वादिया का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात में धन्नी बेवा जयलाल के दर्ज हिस्से का वादी व

प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादिया वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 170, 418, 635, 666, 669, 670, 675, 676, 684, 687, 688, 693, 694, 696, 745, 746, 747, 799, 850, 864, 865, 868, 869, 870, 876, 877, 878, 879, 880, 882 कुल किता 30 कुल रकबा 28 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नंबर 848/1200, 949, 950, 951, 957, 1064, 1075, 1079, 1080, 1081, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1101, 1105, 1108, 1111, 1112, 1121 कुल किता 21 कुल रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा ग्राम दतूली, तहसील फागी, जिला जयपुर में धन्नी बेवा जयलाल के दर्ज हिस्से में वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19/12/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
फागी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान
बदाम देवी
बनाम
बिज्या व अन्य

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 –130/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादिया वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 170, 418, 635, 666, 669, 670, 675, 676, 684, 687, 688, 693, 694, 696, 745, 746, 747, 799, 850, 864, 865, 868, 869, 870, 876, 877, 878, 879, 880, 882 कुल किता 30 कुल रकबा 28 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नंबर 848/1200, 949, 950, 951, 957, 1064, 1075, 1079, 1080, 1081, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1101, 1105, 1108, 1111, 1112, 1121 कुल किता 21 कुल रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा ग्राम दतूली, तहसील फागी, जिला जयपुर में धन्नी बेवा जयलाल के दर्ज हिस्से में वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निज.....—.....मुबलिग.....—.....बाबत.....—.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....—.....फीसदी.....—.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....—.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19/12/2017 को जारी की गई।

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)